



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No.026/2021
GST Circular No. 021/2021
MOST IMMEDIATE

2016/AC-I1/01/06/CRIS

31st March 2021


**General Managers,
All Zonal Railway/Production Units**

Sub: - Applicability of GST under forward charge and reverse charge on outward supply of services

Pursuant to Notification No. 13/2017- Central Tax (Rate) dated 28th June 2017 (as amended) read with Notification No. 12/2017- Central Tax (Rate) dated 28th June 2017 (as amended), **except the services mentioned below** all other services supplied by Indian Railways shall be leviable to GST under reverse charge as on date for Ministry of Railways and therefore in respect of such other services GST shall be payable by the recipient (subject to exemptions provided under GST provisions):

- Services of transportation of Goods to all persons (i.e. registered and unregistered)
- Services of transportation of Passengers to all persons (i.e. registered and unregistered)
- Services of renting of Immovable Property to unregistered business entities

Please be informed that only aforementioned **supply of services** are leviable to GST under forward charge and hence GST shall be levied by Indian Railways on such services, subject to applicable exemptions. All Zonal Railways and Production Units shall ensure compliance to the above.


(V. Prakash)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
4. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

आरबीए सं. 026/2021
जीएसटी परिपत्र सं. 021/2021
अति तत्काल
31 मार्च, 2021

2016/एसी-II/01/06/क्रिस

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : सेवाओं की बाह्य आपूर्ति पर अग्रेषण प्रभार और प्रतिलोम(रिवर्स) प्रभार के अंतर्गत जीएसटी की अनुप्रयोज्यता।

दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर) (यथा संशोधित) के साथ पठित दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) (यथा संशोधित) के अनुसरण में, नीचे उल्लिखित सेवाओं के अलावा, भारतीय रेलों द्वारा आपूर्ति की गई अन्य सभी सेवाएं रेल मंत्रालय के उस तारीख तक प्रतिलोम (रिवर्स) प्रभार के तहत जीएसटी के लिए वसूलनीय होंगी और इसलिए ऐसी अन्य सेवाओं के संबंध में जीएसटी प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगी (जीएसटी प्रावधानों के तहत प्रदत्त छूट के अध्यक्षीन) :

- सभी व्यक्तियों को माल ढुलाई की सेवाएं (अर्थात् पंजीकृत और अपंजीकृत)
- सभी व्यक्तियों को यात्रियों के परिवहन की सेवाएं (अर्थात् पंजीकृत और अपंजीकृत)
- अपंजीकृत व्यवसायिक संस्थाओं को अचल संपत्तियां किराए पर देने की सेवाएं

कृपया अवगत हों कि केवल ऊपर उल्लिखित सेवाओं की आपूर्ति ही अग्रेषण प्रभार के अंतर्गत जीएसटी के लिए वसूलनीय होगी और इसलिए लागू छूट के अध्यक्षीन, ऐसी सेवाओं पर भारतीय रेल द्वारा जीएसटी की वसूली की जाएगी। सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

६.

(वी.प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
2. सभी निदेशक, निदेशक स्तर का जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
4. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस ।